भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1898

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा शमन निधि

1898. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अब तक न तो कोई राष्ट्रीय योजना बनाई गई है और नहीं कोई राष्ट्रीय आपदा शमन निधि स्थापित की गई है;
(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश के सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन निधि बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या नए कदम उठाए हैं?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग): भारत सरकार ने दिनांक 01.06.2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना

(एन.डी.एम.पी.) जारी की है।

राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एन.डी.एम.एफ.) स्थापित नहीं की गई है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि की स्थापना का उद्देश्य विशिष्ट रूप से प्रशमन के उद्देश्य वाली परियोजनाओं के लिए है, जिनकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषोन्नति योजना, सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन, एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए., बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, नमामि-गंगे राष्ट्रीय गंगा

योजना, नदी बेसिन प्रबंधन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और जल संसाधन प्रबंधन जैसी विधमान केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय क्षेत्र (सी.एस.) की योजनाओं द्वारा सहायता की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने लचीली (फलेक्सी) निधि के रूप में सभी सी.एस.एस. योजनाओं (उन योजनाओं के अलावा जो विधान से बनती है) के लिए कुल परिव्यय के 10% का प्रवाधान किया है।

उपरोक्त के मदेदनजर, सरकार यह महसूस करती है कि इस सम विभिन्न परियोजनाओं में प्रशमन उपायों की देखभाल के लिये पर्याप्त योजनाएं हैं ओर अलग से एन.डी.एम.एफ के सृजन की आवश्यकता महसूस नही की गई है।

आपदाओं का वित्तीय प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में उपलब्ध तंत्र के अनुसार किया जाता है और आपदा प्रबंधन निधि नामक कोई निधि नहीं है।